न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष / सदस्य महोदय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल
ग्वालियर, म.प्र. कैम्प इंदौर, म.प्र.

रा.पुन.क्रमांक :

प्रस्तुत दिनांक : 19.9.18

निगरानी-5845/2018/बुरहानपुर/भू.रा.

1. भरत पिता भागवत बेंडाले
2. सुमनबाई पति स्वर्गीय भागवत बेंडाले

दोनो निवासी ग्राम हैदरपुर, तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर, म.प्र.

-- आवेदकगण (मूल प्रकरण में अनावेदकगण)

वि रू ध्द

1. वामन पिता विठठल बेंडाले
2. अरविन्द पिता सेवकराम बेंडाले

दोनो निवासी ग्राम हैदरपुर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म.प्र.

-- अनावेदकगण (मूल प्रकरण में आवेदकगण)

राजस्व पुनरीक्षण मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत
पुनरीक्षणकर्तागणो की ओर से

आवेदकगण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेपानगर के न्यायालय में प्रचलित राजस्व प्रकरण क्रमांक 5अ/13 वर्ष 2017–18 पक्षकार (वामन बेंडाले व अन्य विरूध्द भरत बेंडाले व अन्य) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.07.2018 अंतर्गत धारा 131/32 में पारित अंतरिम रूप से रास्ता खोलने से पीडित एवं व्यथित होकर यह प्रथम पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहे है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 5845 / 2018 / बुरहानपुर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17—10—2018	आवेदक की ओर से श्री विनोद सुगंधी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायलय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भूराजस्व संहिता में दिनांक 25—09—2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदकपक्ष दिनांक 27—12—2018 को कलेक्टर जिला बुरहानपुर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	